न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 150/2020
3. उनवान : सरकार जरिये मोहन लाल देव प्रवर्तन अधिकारी
   बनाम
   श्री रमेश कुमार निहलानी पुत्र स्व. श्री वासुदेव सिन्धी, पता सिन्धी कालोनी, झूलेलाल मन्दिर के पास, सांगानेर स्टेडियम के सामने, सांगानेर।
4. निर्णय दिनांक : 19.07.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री सुभाष चन्द खण्डेलवाल अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर श्री मोहन लाल देव द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि घरेलू गैस सिलेण्डरों में से छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डरों व वाणिज्यिक सिलेण्डरों में गैस भरकर उंचे दामों में विक्रय कर घरेलू गैस का दुरुपयोग व कालाबाजारी की शिकायत पर अप्रार्थी रमेश कुमार के मकान पर दिनांक 04.12.2011 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 11 घरेलू सिलेण्डर आईओसी(9 एचपीसी व 2 बीपीसी) मय एलपीजी 100.100 किग्रा., 21 छोटे नोन आईएसआई मार्का सिलेण्डर 5 किलोग्राम क्षमता (5 भरे व 16 खाली) मय एलपीजी 15 किग्रा., 6 छोटे नोन आईएसआई मार्का छोटे सिलेण्डर 2 किग्रा. क्षमता, कुल एलपीजी 115.100 किग्रा., 34 पीतल की बांसुरी, एक जीवन नागजी लोहे का कांटा, 7 बांट, दो पेचकस, दो पाने व एक पलास पाया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त सिलेण्डरों के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये ना ही इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द खण्डेलवाल ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी द्वारा नोटिस सम्यक रुप से तामील होने के बावजूद कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 19.07.22 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 04.12.2011 को अप्रार्थी के मकान पर जांच कार्यवाही की जहां पर अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे नोन आईएसआई मार्का के छोटे सिलेण्डर में पीतल की बांसुरी से गैस का अन्तरण (हस्तानान्तरण) करते हुए पाया गया। मौके पर अप्रार्थी ने बताया कि उसके द्वारा यह कार्य पिछले 4–5 माह से किया जा रहा है। अप्रार्थी ने मौके पर सिलेण्डरों अथवा उनके भण्डारण, वितरण, विक्रय एवं गैस अन्तरण का कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया ना ही आज दिनांक तक न्यायालय के समक्ष पेश किये। मौके पर फर्द जब्ती अनुसार जब्त अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर में से बांसुरी की सहायता से गैस छोटे नोन आईएसआई मार्का के सिलेण्डरों में अन्तरण कर अवैध रुप से विक्रय कर घरेलू गैस की कालाबाजारी व दुरुपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्त सिलेण्डर अवैध थे और उनके संधारण, भण्डारण, उपयोग अथवा विक्रय से सम्बन्धित कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। साथ ही किसी अन्य ने भी उक्त जब्त सामान के लिये क्लेम नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर फर्द अनुसार जब्तशुदा सामान जिसमें 11 घरेलू सिलेण्डर आईओसी(9 एचपीसी व 2 बीपीसी) मय एलपीजी 100.100 किग्रा., 21 छोटे नोन आईएसआई मार्का सिलेण्डर 5 किलोग्राम क्षमता (5 भरे व 16 खाली) मय एलपीजी 15 किग्रा., 6 छोटे नोन आईएसआई मार्का छोटे सिलेण्डर 2 किग्रा. क्षमता, कुल एलपीजी 115.100 किग्रा., 34 पीतल की बांसुरी, एक जीवन नागजी लोहे का कांटा, 7 बांट, दो पेचकस, दो पाने व एक पलास शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

32=

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।